राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
परिवहन विभाग,
5/9 अण्डर हिल, दिल्ली–54

सं0एफ0 19(04)/परि0 वि0/सचि0 शा0/2019/ 51577

दिनांक – 23/08/2019

सेवा में,

उप– सचिव (प्रश्न),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय,
दिल्ली–54

विषय : दिनांक 26.08.2019 को सदन की बैठक में लिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं0 – **186**

महोदय,

आपके पत्र के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर की 100 प्रतियॉ संलग्न हैं।

भवदीय,

(विकास जैन)
पी.सी.ओ. (सचि0)
VIKAS JAIN
Pollution Control Officer
Transport Department
5/9, Under Hill Road, Delhi-54

विभाग का नाम :– परिवहन, दिल्ली सरकार
विभाग का पता :– 5/9, अंडर हिल रोड़, दिल्ली – 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या:– 186
दिनांक :– 26-08-2019
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री विजेन्द्र गुप्ता

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क.	दिल्ली मेरठ और दिल्ली अलवर रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को लेकर दिल्ली सरकार का क्या स्टैंड है;	<u>दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल परियोजना</u> दिल्ली–मेरठ रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की परियोजना के कार्यान्वयन का प्रस्ताव दिल्ली सरकार के विचाराधीन है। <u>दिल्ली–अलवर (प्रथम चरण) रीजनल रैपिड रेल परियोजना</u> दिल्ली–अलवर (प्रथम चरण) रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की परियोजना के लिए दिल्ली सरकार ने कैबिनेट निर्णय संख्या–2725, दिनांक–02.08.2019 को दिल्ली सरकार के अंशदान का ईन्वार्यमेन्टल कम्पनशेशन चार्ज (ई सी सी) से भुगतान करने का अनुमोदन किया था।
ख.	सरकार को इसके लिए पूरी परियोजना के लिए कितनी धनराशि देनी होगी और चालू वित्तीय वर्ष तथा आगामी वित्तीय वर्षों में इसके लिए सरकार ने क्या बजटीय प्रावधान रखा है; और	इन परियोजनाओं के लिए एन सी आर टी सी के प्रस्ताव अनुसार, दिल्ली सरकार द्वारा देय राशि निम्नलिखित है– <u>दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल परियोजना</u> कुल परियोजना लागत – रु 30,274 करोड़ दिल्ली सरकार का अंशदान – रु 1180 करोड़ चालू वित्तीय वर्ष में देय राशि – रू 312 करोड़ <u>दिल्ली–अलवर (प्रथम चरण) रीजनल रैपिड रेल परियोजना</u> कुल परियोजना लागत – रु 37,690 करोड़ दिल्ली सरकार का अंशदान – रु 3152 करोड़ चालू वित्तीय वर्ष में देय राशि – रू 20 करोड़
ग.	यह प्रावधान किस खाते से किया जाएगा?	उपरोक्त परियोजनाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष में दिल्ली सरकार ने एक करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान रखा है। इसके अलावा परिवहन विभाग ने चालू वर्ष की अनुदानों की अनुपूरक मांगों में 47 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि के बजटीय प्रावधान का प्रस्ताव वित्त विभाग, दिल्ली सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 06/03/2019 के आदेश के अनुसार परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली–मेरठ रीजनल रैपिड रेल परियोजना के लिए 265 करोड़ रूपये का भुगतान ईन्वार्यमेन्टल कम्पनसेशन चार्ज (ई सी सी) फंड से किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 06/03/2019 के आदेश के अनुसार दिल्ली–मेरठ रीजनल रैपिड रेल परियोजना के लिए दिल्ली सरकार का शेष अंशदान तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 05/08/2019 के आदेश के अनुसार दिल्ली–अलवर रीजनल रैपिड ट्रांजिट रेल परियोजना के लिए दिल्ली सरकार को अपने अंशदान का पूर्ण भुगतान अपने बजटीय प्रावधान से करना है। आगामी वर्ष के बजट बनाने की प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है।

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।

(ए. के. शर्मा)
उपायुक्त (सचि.), (परिवहन विभाग)

(A.K. Sharma)
Dy. Commissioner (Tpt)
Govt. of NCT of Delhi
5/9, Under Hill Road, Delhi-110054